अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की तिहत्तरवीं (73वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 9 नवंबर, 2016 को अपराहन 3.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 73.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम बेहरामपुर, गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **13 नवंबर, 2016** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 नवंबर, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 73.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 7 सितंबर, **2016** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बेंजो केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 सितंबर, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(ii) 21 नवंबर, **2014** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जेएस डिजाइनर लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 21 नवंबर, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) 30 सितंबर, **2016** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में स्टर्लिंग एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 सितंबर, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(iv) 14 सितंबर **2016** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हास कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो नागपुर (मिहान), जिला नागपुर, महाराष्ट्र में मिहान एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 14 सितंबर, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(v) 16 अक्टूबर **2016** के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सराफ एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड जो चतरपुर, गंजम, ओडिशा में मैसर्स सराफ एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 17 अप्रैल, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 73.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एटीएस सैवी डवलपर्स एलएलपी, अहमदाबाद का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 400000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में सेवाओं का निर्यात करने के लिए यूनिटों हेतु एसईजेड भवन के निर्माण, विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मैसर्स एटीएस सैवी डवलपर्स एलएलपी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के इस शर्त के अधीन होंगी कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी, गिफ्ट एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर ब्लॉक 15 जोन में बीयूए।

(ii) ग्राम ननक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स मंत्री डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स क्लासिक इनफोटेक एलएलपी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 30,115,190 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं जैसे कि इंटीरियर फिट आउट एंड सर्विसेज, विद्युतीकरण, फायर फाइटिंग, स्थिर फ्रिक्वेंसी पर 24x7 विद्युत की अबाध उपलब्धता, 100 प्रतिशत पावर बैकअप, विश्वसनीय डाटा कनेक्टिविटी, सेंट्रल एयरकंडिशनिंग सिस्टम (एचवीएसी) के विकास तथा पट्टाधारक की आवश्यकता के अनुसार मंत्री कॉसमास टावर 1 की अन्य अवसंरचना सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए मैसर्स क्लासिक इनफोटेक एलएलपी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iii) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज **2**, हिंजेवाड़ी, पुणे में सह विकासक के रूप में मैसर्स सीबी ग्लोबल आईटी पार्क एंड इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में एसईजेड के चिह्नित क्षेत्र में 5827 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस भवन के निर्माण के लिए सह विकासक के रूप में मैसर्स सीबी ग्लोबल आईटी पार्क एंड इनफ्रा प्राइवेट

लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। गतिविधियां महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा अनुमत अवधि अर्थात मार्च 2018 तक पूरी हो जानी चाहिए।

(iv) ग्राम साईं, तालुक पनवेल, महाराष्ट्र में मैसर्स अर्शिया लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्शिया रेल साइडिंग एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स अर्शिया रेल साइडिंग एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अर्शिया लिमिटेड जो अर्शिया लिमिटेड की पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो अवसंरचना आधारित लाजिस्टिक पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है जिसमें एफटीडब्ल्यूजेड का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण शामिल है, के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा, कंपनी ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में अर्शिया लिमिटेड में 6 मालगोदाम के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने का अनुरोध किया।

(v) रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए **7,456.71** वर्गफीट **(431.572** वर्गमीटर**)** के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए मैसर्स ब्रिगेड (गुजरात) प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए पूरक सह विकासक करार के अनुसरण में 7456.71 वर्गफीट (431.572 वर्गमीटर) के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए मैसर्स ब्रिगेड (गुजरात) प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, बशर्ते कि नवीकरणीय पट्टा अवधि को घटाकर अधिकतम 30 वर्ष किया जाए।

मद संख्या 73.4 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) कोल्थुर गांव, शमीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में **11.473** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी एवं बायो फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वैक्सेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने कोल्थुर गांव, शमीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 11.473 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी एवं बायो फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। यह टिप्पणी की गई कि नीतिगत निर्णय के लिए छोटे एसईजेड के मुद्दे की अलग से जांच की जा सकती है।

(ii) सर्वे नंबर **115/35,** नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में **2.02** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, वीएसईजेड सूचित किया कि प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश उपलब्ध नहीं है।

(iii) सर्वे नंबर **203** भाग, माणिकोंडा जागीर गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में **2.02** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, वीएसईजेड सूचित किया कि प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश उपलब्ध नहीं है।

(iv) क्रमांक **72,** ग्राम खराडी, पुणे, महाराष्ट्र में **4.86** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इयॉन खराडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 72, ग्राम खराडी, पुणे, महाराष्ट्र में 4.86 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को इस निदेश के साथ मंजूरी प्रदान की कि विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड मामले की समीक्षा करेंगे।

(v) सर्वे नंबर **89 (पी),** कोकपेट गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, तेलंगाना में **1.66** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जीएआर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 89 पी , कोकपेट गाँव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, तेलंगाना, में 1.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(vi)) सर्वे नंबर **21 (पी),** सर्वे नंबर **22 (पी), 23** और **24,** कोकपेट गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, तेलंगाना में **2.56** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जीएआर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर सर्वे नंबर 21 (पी), 22 (पी), 23 और 24, ग्राम कोकापेट, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, तेलंगाना, में 2.56 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(vii) खराडी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में **4.03** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए संयुक्त रूप से क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स केआरसी इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गेरा डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को इस टिप्पणी के साथ मंजूरी प्रदान की कि विकास आयुक्त, एसईईपी एसईजेड विकासकों से वचन पत्र ले सकते हैं ताकि सरकार केवल एक विकासक के साथ डील करेगी।

मद संख्या 73.5 : विविध मामले

(i) अनुदेश संख्या **47** तथा नियम **45 (1)** के अनुसरण में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कोगटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो सी-**8/2**, गांव मुसलगांव एवं गुलवंच, तालुक सिन्नार, नासिक में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

(ii) कांडला और टूना क्षेत्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए के धारक मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) का क्षेत्र में कटौती के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5000 हेक्टेयर के औपचारिक रूप से अनुमोदित क्षेत्रफल से 1000 हेक्टेयर की कटौती के लिए मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अनुरोध को मंजूर करने का निर्णय लिया जिससे औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड का पूर्ण क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने कटौती किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है और यह कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

फाल्टा एसईजेड से वीएसईजेड में यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

(iv) शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के फलस्वरूप नाम बदलकर मैसर्स रेडनी इंडिया ओएस प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स ओर्गा सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के फलस्वरूप ओरगा सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स रेडनी इंडिया ओएस प्राइवेट लिमिटेड करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(v) फर्म के साझेदारों के नाम तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स कोर्डिया ब्रदर्स जो प्लाट नंबर एफ-**20,** एसईजेड **2,** सीतापुर, जयपुर की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने फर्म के साझेदारों तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(vi) फर्म में **60** प्रतिशत शेयर होल्डिंग के साथ साझेदार को शामिल करने के लिए मैसर्स आर्टीसियन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एलएलपी जो मोहाली, पंजाब में मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने फर्म में 60 प्रतिशत शेयर होल्डिंग के साथ साझेदार को शामिल करने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(vii) मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड को सभी अधिकृत प्रचालनों, परिसंपत्तियों एवं देयताओं सहित सह विकासक का एलओए हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सभी अधिकृत प्रचालनों, परिसंपत्तियों एवं देयताओं सहित सह विकासक के एलओए को एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड को हस्तांतरित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(viii) सहगण सहायक कंपनी को सभी अधिकृत प्रचालनों, परिसंपत्तियों एवं देयताओं सहित सह विकासक के एलओए को हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स डीएलफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सभी अधिकृत प्रचालनों, परिसंपत्तियों एवं देयताओं सहित सह विकासक के एलओए को एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन हमजोली सहायक कंपनी को हस्तांतरित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ix) व्यवसाय अंतरण करार के तहत स्लंप सेल के अनुसरण में सहगण सहायक कंपनी मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड को एलओए का हस्तांतरण करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो सेक्टर **24** एवं **25** से, डीएलएफ फेज **3**, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवपलर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन व्यवसाय अंतरण करार के तहत स्लंप सेल के अनुसरण में हमजोली सहायक कंपनी मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड को एलओए अंतरित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(x) व्यवसाय अंतरण करार के तहत स्लंप सेल के अनुसरण में सहगण सहायक कंपनी मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड को एलओए का हस्तांतरण करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड जो

ग्राम सिलोखेड़ा, सेक्टर **30,** गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन व्यवसाय अंतरण करार के तहत स्लंप सेल के अनुसरण में हमजोली सहायक कंपनी मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड को एलओए अंतरित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(xi) मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड (डीपीएसएल) को सह विकासक का एलओए हस्तांतरित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड (डीयूएल) जो रामापुरम, चेन्नई में मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक के एलओए को एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड (डीपीएसएल) को हस्तांतरित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(xii) अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो राचेनहल्ली एवं नगवारा गांव, होबली, आउटर रिंग रोड, जिला बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में सह विकासक के प्रस्तावित अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के साथ मंजूरी प्रदान की कि सुरक्षा सेवाओं के लिए कोई प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(xiii) कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो पेरुंगलाथूर, चेन्नई में आईटी / आईटीईएस के लिए विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के अंतरण के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(xiv) कंपनी के साझेदारों तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स सुपर जेम्स जो प्लाट नंबर एच-**119,** एसईजेड **2,** सीतापुर, जयपुर की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी के साझेदारों तथा शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(xv) कंपनी के निदेशकों एवं शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स सिंफोनी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर एच-**119,** एसईजेड **2,** सीतापुर, जयपुर की यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया कि प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है।

(xvi) प्लाट नंबर टीजेड-**06,** सेक्टर टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के निर्माण की समय सीमा बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (7) के अनुसार, विकासक या सह विकासक को एसईजेड की अधिसूचना की तिथि से 10 साल की अवधि के अंदर न्यूनतम निर्मित क्षेत्र (100000 वर्गमीटर) का निर्माण करना होगा जिसमें ऐसे क्षेत्र का कम से कम 50 प्रतिशत का निर्माण अधिसूचना की तिथि से 5 साल की अवधि के अंदर करना होगा। वर्तमान मामले में एसईजेड की अधिसूचना के बाद 10 साल की अवधि 28 अगस्त 2016 को समाप्त हो चुकी है तथा एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 15000 वर्गमीटर (165000 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। तथापि, 10 साल की अवधि बीत जाने के बाद भी विकासक ने 50 प्रतिशत निर्माण पूरा नहीं किया है।

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को विकासक को इस आशय का नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया कि मंजूरी पत्र को क्यों न निरस्त किया जाए तथा एसईजेड को क्यों न विमुक्त किया जाए। इसके बाद, विकास आयुक्त, एनएसईजेड अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ नया प्रस्ताव लाएंगे।

(xvii) सैंडल वुड की अतिरिक्त मदों के विनिर्माण के लिए प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स एमएमजी इंपेक्स जो एमईपीजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया कि 3 सप्ताह के अंदर सैंडलवुड के निर्यात और आयात से संबंधित नीति पर डीजीएफटी से स्पष्टीकरण / टिप्पणियां प्राप्त की जाएं।

(xviii) सैंडलवुड ऑयल और चिप्स को शामिल करने के लिए मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया कि 3 सप्ताह के अंदर सैंडलवुड के निर्यात और आयात से संबंधित नीति पर डीजीएफटी से स्पष्टीकरण / टिप्पणियां प्राप्त की जाएं।

मद संख्या 73.6 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

मैसर्स बालाजी इनफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (दिघी पोर्ट, रायगढ़)

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन / अधिसूचना को निरस्त करने का निर्णय लिया। यह निरसन इस बात के अधीन था कि विकास आयुक्त निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत सेवा कर छूट, यदि कोई हो, सहित कोई कर / शुल्क लाभ प्राप्त नहीं किया है अथवा प्राप्त किए गए ऐसे किसी लाभ को वापस कर दिया है।

मद संख्या 73.7 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **20** अगस्त, **2015** के विरुद्ध मैसर्स मोजेर बियर इंडिया लिमिटेड (एसईजेड पावर प्लांट यूनिट) जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अपीलकर्ता के प्रतिनिधि उपस्थित थे तथा उनकी बात सुनी गई।

बताया गया कि 1 अप्रैल 2016 को आयोजित यूएसी बैठक ने यूनिट को 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए डीटीए से खरीदी गई तथा विद्युत संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए आयात की गई सामग्री पर ड्यूटी परित्याग के रूप में 1,55,76,751 रुपए की राशि लौटाने का निदेश दिया तथा आदेश दिया गया कि ईओयू को विद्युत के अंतरण के लिए कोई ड्यूटी फ्री लाभ अनुमत नहीं होगा।

यूनिट अनुमोदन समिति के उपर्युक्त निर्णय से व्यथित यूनिट ने अनुमोदन बोर्ड के पास यह कहते हुए अपील की कि एसईजेड अधिनियम, नियमावली एवं विनियम तथा संगत विद्युत दिशानिर्देशों के तहत (1) 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 तक की अवधि के दौरान प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ तथा (2) ईओयू को विद्युत के अंतरण के लिए ड्यूटी फ्री लाभ ग्राहय हैं।

अपीलकर्ता ने बताया है कि वाणिज्य विभाग के पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2015 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 तक की अवधि 27 फरवरी 2009 के विद्युत दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित है। 27 अप्रैल 2009 के दिशानिर्देश यूनिट के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभों को अनुमत करते हैं। इसके अलावा 21 मार्च 2012 तथा 16 फरवरी 2016 के दिशानिर्देश भी यूनिटों को प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभों की अनुमति प्रदान करते हैं।

इसके अलावा अपीलकर्ता ने यह दावा किया है कि एसईजेड यूनिट से ईओयू को विद्युत के अंतरण के लिए ड्यूटी फ्री लाभ एसईजेड नियमावली के नियम 47 (3) (ग) के तहत ग्राहय हैं। उल्लेखनीय है कि अनुदेश संख्या 75 दिनांक 7 फरवरी 2011 के माध्यम से नियम 47 (3) (ग) प्रास्थगन में नहीं रखा गया है। इसके अलावा ईओयू के लिए, कस्टम अधिसूचना संख्या 52/2003 निबंधित करती है कि ड्यूटी के भुगतान के बगैर ईओयू को विद्युत सहित सभी माल की बिक्री की जा सकती है।

इसलिए अपीलकर्ता ने दावा किया है कि यूनिट अनुमोदन समिति का आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2016 जिसमें यूनिट को 1 अप्रैल 2015 से 15 फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए विद्युत संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए डीटीए से खरीदी गई एवं आयात की गई सामग्री पर ड्यूटी परित्याग के रूप में 1,55,76,751 रुपए की राशि को लौटाने का निदेश दिया गया है और यह आदेश दिया गया है कि ईओयू को विद्युत के अंतरण के लिए कोई ड्यूटी फ्री लाभ अनुमत नहीं होगा, गलत है और इसलिए निरस्त किया जाना चाहिए।

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि वाणिज्य विभाग का परिपत्र दिनांक 6 अप्रैल 2015 स्पष्ट रूप से निबंधित करता है कि ऐसे विद्युत संयंत्रों को एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जाएगा जो इस समय एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित हैं तथा ऐसे विद्युत संयंत्रों के लिए अब कोई प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ उपलब्ध नहीं होगा। अब यूनिट 16 अप्रैल 2016 के विद्युत दिशानिर्देशों के पैरा (3) के तहत प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ के लिए इस शर्त के अधीन पात्र होगी कि ईओयू को विद्युत के अंतरण के लिए कोई ड्यूटी फ्री लाभ अनुमत नहीं होगा क्योंकि यूनिट को प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, सीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **30** मई **2016** के विरुद्ध मैसर्स विकास टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (वीटीपीएल) जो एंबेसी टेक विलेज, बंगलौर में विकास टेलीकॉम एसईजेड का विकासक है, की अपील

अपीलकर्ता का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था।

वीटीपीएल ने 1 अप्रैल 2015 से वीटीपीएल विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर एसईजेड यूनिट के रूप में डीजी सेट अर्थात बैकअप पावर की सुविधा संचालित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त, सीएसईजेड के पास 8 मार्च 2016 को आवेदन किया था। तथापि, यूनिट अनुमोदन समिति ने 9 मई 2016 से विद्युत दिशानिर्देश 2016 के तहत एसईजेड यूनिट को मंजूरी प्रदान की। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स विकास टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड (वीटीपीएल) ने इस आधार पर अपील की है कि 2009 और 2016 के दिशानिर्देश पूंजी माल, कच्चा माल तथा उपभोज्य वस्तुओं आदि के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति प्रदान करते हैं।

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि वाणिज्य विभाग का परिपत्र दिनांक 6 अप्रैल 2015 स्पष्ट रूप से निबंधित करता है कि ऐसे विद्युत संयंत्रों को एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जाएगा जो इस समय एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित हैं तथा ऐसे विद्युत संयंत्रों के लिए अब कोई प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ उपलब्ध नहीं होगा। अब यूनिट 16 फरवरी 2016 के विद्युत दिशानिर्देशों के पैरा 3 के तहत प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ के लिए पात्र होगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति, सीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **30** मई **2016** के विरुद्ध मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) जो नगवारा, बंगलौर में मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड का विकासक है, की अपील

अपीलकर्ता का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था।

नगवारा, बंगलौर में मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड के विकासक मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) ने 1 अप्रैल 2015 से एसईजेड यूनिट के रूप में एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थापित डीजी सेट के संचालन के लिए 7 मार्च 2016 को विकास आयुक्त, सीएसईजेड के पास आवेदन किया था। तथापि, यूनिट अनुमोदन समिति ने 9 मई 2016 से विद्युत दिशानिर्देश 2016 के तहत एसईजेड यूनिट को मंजूरी प्रदान की। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) ने इस आधार पर अपील की है कि 2009 और 2016 के दिशानिर्देश पूंजी माल, कच्चा माल तथा उपभोज्य वस्तुओं आदि के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति प्रदान करते हैं।

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि वाणिज्य विभाग का परिपत्र दिनांक 6 अप्रैल 2015 स्पष्ट रूप से निबंधित करता है कि ऐसे विद्युत संयंत्रों को एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया जाएगा जो इस समय एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित हैं तथा ऐसे विद्युत संयंत्रों के लिए अब कोई प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ उपलब्ध नहीं होगा। अब यूनिट 16 फरवरी 2016 के विद्युत दिशानिर्देशों के पैरा 3 के तहत प्रचालन एवं अनुरक्षण लाभ के लिए पात्र होगी।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

(iv) विकासक आयुक्त, एनएसईजेड / यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक **23** फरवरी **2016** के विरुद्ध मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (एमटीएल) की अपील

मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (एमटीएल) ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड / यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 फरवरी 2016 के विरुद्ध अपील की है जिसे 28 अप्रैल 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 70वीं बैठक में रखा गया था। अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि अपीलकर्ता को भौतिक निर्यात तथा व्यापार की गतिविधि के लिए अलग अलग आंकड़ों के संबंध में एक सप्ताह के अंदर एनएफई के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

तद्नुसार, मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 4 मई 2016 के माध्यम से वाणिज्य विभाग के विचारार्थ भौतिक निर्यात / डीटीए बिक्री / एनएफई के सिलसिले में विवरण / इनपुट प्रस्तुत किया जिसे सत्यापन के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड को अग्रेषित किया गया। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अपने पत्र दिनांक 2 जून 2016 के माध्यम से सूचित किया कि मैसर्स एमटीएल ने निर्धारित प्रपत्र में आयात, निर्यात एवं डीटीए बिक्री का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है। मैसर्स एमटीएल ने सूचित किया है कि राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली द्वारा उनके रिकार्ड जब्त कर लिए गए हैं तथा जब उनको रिकार्ड वापस प्राप्त हो जाएंगे तब वे ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने यह भी बताया है कि चूंकि यूनिट ने उक्त दस्तावेज अर्थात डीटीए क्रेता के ईईएफसी खाता या विदेश से प्राप्त फ्री विदेशी मुद्रा का ब्यौरा प्रदान नहीं किया है इसलिए एनएफई का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ईएफएफसी खाता से या विदेशी क्रेता से प्राप्त भुगतान का ब्यौरा सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से होना चाहिए तथा यह यूनिट द्वारा प्रदान किया जा सकता है। अत: यूनिट का यह प्रतिवाद कि वे ईईएफसी खाता आदि का ब्यौरा इसलिए प्रदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जब्त कर लिया गया है, तर्कसंगत नहीं है।

इसके अलावा, यूनिट अनुमोदन समिति की निम्नलिखित टिप्पणियों को नोट किया गया :

(i) यूनिट एसईजेड अधिनियम / एसईजेड नियमावली के प्रावधानों तथा एलओए / बांड सह एलयूटी की शर्तों एवं नियमों का लगातार उल्लंघन कर रही है।

(ii) जैसा कि उपर्युक्त पैरा 3 और 8 में बताया गया है, यूनिट ने आयात पत्र (क) बीई नंबर एनएसईजेड 0008568 दिनांक 5 अक्टूबर 2015, (ख) बीई नंबर एनएसईजेड 0008527 दिनांक 3 अक्टूबर 2015 के तहत शामिल माल की गलत घोषणा को स्वीकार किया है।

(iii) यूनिट ने उक्त तीन आयात पत्रों के विरुद्ध जांच के परिणाम के रूप में उत्पन्न अपनी ड्यूटी / पेनाल्टी / फाइन देयता के लिए 50 लाख रुपए (चालान संख्या 730468 दिनांक 20 अक्टूबर 2015 के माध्यम से 35 लाख रुपए और चालान संख्या 730467 दिनांक 20 अक्टूबर 2015 के माध्यम से 15 लाख रुपए) की राशि जमा की है।

(iv) यूनिट ने विशेष आसूचना एवं अन्वेषण शाखा (एसआईआईबी) से मेरिट के आधार पर मामले का निर्धारण करने का भी अनुरोध किया था तथा बताया कि वे कोई कारण बताओ नोटिस या निजी सुनवाई नहीं चाहते हैं।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने बताया कि डीआरआई, लखनऊ क्षेत्रीय यूनिट तथा एनएसईजेड, कस्टम तथा डीआरआई मुख्यालय नई दिल्ली में मैसर्स मोर्गन टेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के विरुद्ध विभिन्न राजस्व एजेंसियों द्वारा कई मामले दर्ज किए गए हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि अपील के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसलिए अपील अस्वीकार कर दी गई।

<u>पूरक एजेंडा पर निर्णय</u>

मद संख्या 73.8 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 22 सितंबर, **2016** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड **(**यूनिट **4)** जो एनएसईजेड यूनिट है**,** का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कोई निर्माण गतिविधि शुरू नहीं हुई है तथा नोएडा प्राधिकरण से भवन प्लान अनुमोदित कराने के लिए 22 अप्रैल 2017 तक 6 माह का अंतिम विस्तार अनुमत किया और यह कि विकासक द्वारा इस समय तक निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए, जो किसी सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित होगा।

(ii) 22 अप्रैल **2016** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स वेबेल लिमिटेड जो बांगला, कोलकाता में मैसर्स एमएल डालमिया एंड कंपनी के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की आईटी यूनिट है**,** का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 अप्रैल, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 27 अक्टूबर**, 2012** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एनकेबी हार्डवेयर जो एनएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि एलओपी की अवधि 27 **अक्टूबर** 2012 **को समाप्त हो चुकी है।**

मद संख्या 73.9 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) 1.51 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हवाइटफील्ड**,** बेंगलुरू, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने व्हाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में 1.51 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 73.10 : गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में ड्यूटी प्रदत्त दोहरे प्रयोगों के लिए अनुरोध

(क) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में ड्यूटी प्रदत्त दोहरे प्रयोगों के लिए मैसर्स पर्सीपिना डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, का अनुरोध

तथापि, स्वामित्व में परिवर्तन के लिए अनुमोदन के समय 19 मई 2015 को आयोजित अपनी 65वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों के भुगतान के अधीन विकासक को उक्त एसईजेड से गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 1077419 वर्गफीट (100094 वर्गमीटर) के कुल क्षेत्रफल को विमुक्त करने का निदेश दिया था जहां 1012 आवासीय यूनिटों का निर्माण किया गया है।

(i) ग्राम तालेगांव और पनशील, तालुक खालापुर और ग्राम भोकरापाड़ा, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में सेवा क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **14** अक्टूबर, **2012** के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स पर्सीपिना डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 14 अक्टूबर, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में दोहरे प्रयोग के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड जो रामानुजन आईटी सिटी, राजीव गांधी सलाई (ओएमआर), तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11ए में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iii) मैसर्स गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में स्थापित आईटी / आईटीईएस यूनिटों तथा डीटीए से बाहर स्थित यूनिटों की सहायता के लिए मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड द्वारा सृजित की जाने वाली दूरसंचार एवं अवसंरचना सुविधा के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड नियमावली 2006 **के नियम** 11**ए में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।**

मद संख्या 73.11 : विविध मामले

(i) बेलगाम, कर्नाटक में प्रिसीजन इंजीनियरिंग उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में आईटी / आईटीईएस, इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट तथा हार्डवेयर विनिर्माण ऊर्जा बीपीओ (लेगा, मेडिकल तथा समान सेवाओं सहित), केपीओ और अनुसंधान एवं विकास सेवाओं के लिए सेक्टोरल ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स एक्वस एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 73.12 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन के निरसन के निम्नलिखित 2 मामलों की जांच की तथा उनके औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	विकासक / सह विकासक का नाम	क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन की तारीख	क्षेत्र
1.	मैसर्स करांजा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ग्राम चांजी, तालुक उरान, रायगढ़)	एफटीडब्ल्यूजेड	31 अक्टूबर, 2006	एसईईपीजेड
2.	मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (पनवेल गांव, रायगढ़)	रत्न एवं आभूषण	25 अक्टूबर, 2006	एसईईपीजेड

यह निरसन इस बात के अधीन था कि विकास आयुक्त निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत सेवा कर छूट, यदि कोई हो, सहित कोई कर / शुल्क लाभ प्राप्त नहीं किया है अथवा प्राप्त किए गए ऐसे किसी लाभ को वापस कर दिया है।

मद संख्या 73.13 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एफएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **7** सितंबर, **2016** के विरुद्ध मैसर्स जय भारत प्लास्टिक जो एफएसईजेड की यूनिट है, की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यूनिट ने पिछले 5 वर्षों के दौरान न तो सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है जो अनुमोदन के समय निर्धारित किया गया था और न ही 22 फरवरी 2016 को एलओपी की वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि से पहले प्रस्ताव का नवीकरण कराया है।

(ii) उनके एलओए में अनुमोदन समिति (यूएसी) द्वारा लगाई गई शर्त दिनांक **02** जून, **2016** के विरुद्ध मैसर्स जगदंबा इंपेक्स की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने आदेश दिया कि यूनिट डीटीए को क्लियर किए जाने वाले माल के लिए केवल प्राइम सीआरजीओ का आयात करेगी तथा डीटीए को क्लियर किए गए ऐसे माल के संबंध में इस्पात मंत्रालय के इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश दिनांक 12 मार्च 2012 में निर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए। तद्नुसार, अग्रेतर कार्रवाई के लिए अनुमोदन बोर्ड ने अपील को विकास आयुक्त, एनएसईजेड के पास भेज दिया।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **5** सितंबर, **2016** के विरुद्ध मैसर्स कमल दीप ज्वैलर्स जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया कि यूनिट ने एसईजेड अधिनियम 2005 तथा एसईजेड नियमावली 2006 के अनुसार समय सीमा के अंदर एलओए का नवीकरण नहीं कराया है। तथापि, विकास आयुक्त, एनएसईजेड को सुनिश्चित करना चाहिए कि डिबांडिंग से पूर्व सभी ड्यूटी एवं ब्याज आदि की वसूली कर ली गई है।

यूनिट अनुमोदन समिति / वीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक **11** मई **2016** के विरुद्ध मैसर्स डा. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड सीटीओ एसईजेड प्रोसेस यूनिट **1** जो सर्वे नंबर **53-80**, देवुनीपालावालसा गांव, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला में डा. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड सीटीओ एसईजेड ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय दिनांक 11 मई 2016 के विरुद्ध अपील की है जिसमें कोई कारण बताए बगैर अन्य एसईजेड यूनिटों तथा डीटीए में अन्य यूनिटों के लिए विश्लेषण की विधि की वैधता जैसी क्यूए / क्यूसी संबद्ध सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मौजूदा सीटीओ एसईजेड प्रोसेस यूनिट 1 के लिए क्यूए / क्यूसी सेवा की सेवा गतिविधि के समावेशन के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील का समर्थन किया।

पूरक एजेंडा 2 पर निर्णय

मद संख्या 73.14 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) सर्वे नंबर **31/1**, चिकनकनेली गांव, वर्थुर होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में **1.59** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स आरजीए इनफ्रास्ट्रक्चर का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 31/1, ग्राम चिक्कनकन्नेल्ली, वर्थुर होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में 1.59 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

सारणी एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 73.15 : विविध मामले

(i) आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो सर्वे नंबर 39, पुराना टीबी अस्पताल क्षेत्र, विशाखापट्टनम में एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार, आईटी ईएंडसी से एनओसी प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) कुवाकोली गांव, वरदै पलेम मंडल, चित्तूर आंध्र प्रदेश में 11.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

***